

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

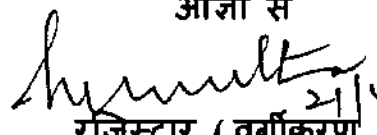
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2136 /2020 दिनांक 23.11.2020

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II को दिनांक 20.07.2020 से 23.07.2020 तक 04 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II/ अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 21/11/20

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/69/2008/523)

दिनांक 23.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1540 दिनांक 09.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
4. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II
6. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार